6/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1, 7 व 8, 9, 12 के अधिवक्ता ने जबाव पेश नहीं करना चाहा, अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5/1 से 5/3 की ओर से पूर्व में जबाव पेश किया हुआ है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा समस्त खाते पर एकपक्षीय स्थगन आदेश लिये जाने के कारण बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की ओर से बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चक 12 एम.एम.के. के खाता संख्या 20/12 दलीप कुमार वगैरा में कुल 8.605 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी की 1.227 है0 कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण उसे बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय करना चाहते है। इस कारण प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए ताफैसला कन्फर्म फरमाया जावे। इस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्त खाता में 1.227 है0 कृषि भूमि का ही हक व हिस्सा है। इस कारण प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से अधिक अप्रार्थीगण के नाम दर्ज संयुक्त खाता की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन करने के उपरांत यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण ताफैसला चक 12 एम.एम.के. के खाता संख्या 20/12 दलीप कुमार आदि में दर्ज 8.605 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्सा की 1.227 है0 कृषि भूमि तक रहन, बैय नहीं करे व विशिष्ट किला नंबर का बेचान नहीं करे। शेष संयुक्त खाता में दर्ज अप्रार्थीगण के नाम की कृषि भूमि पर उक्त स्थगन आदेश किसी प्रकार से प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़